>

Title: Need to consider the views of State Governments before taking action on recommendations of Hoda Committee Report on National Mineral Policy.

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : किसी भी राज्य के वैधानिक सीमा स्थित भू-सतह और सतह नीचे के समस्त खनिजों का स्वामित्व संबंधित राज्यों का होता है, संसद में संविधान द्वारा 1957, 1960 के खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार खनिजों को दो वर्गों में बांटा (मुख्य और लघु खनिज) है। लघु खनिज को राज्य सरकार के नियंत्रण में और मुख्य खनिज पर अपना स्वयं का अधिकार रखकर केंद्र राÂष्ट्रीय खनिज अधिनियम 1993 के तहत वर्तमान में करती है।

महोदय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार म.प्र., कर्नाटक और राजस्थान खनिज बहुल राज्य है जहां के मुख्यमंत्रियों ने माननीय पूधानमंत्री जी को पत्र लिखकर हुदा समिति के अनुशंसाओं के विरोध में बिंदुवार आपत्तियों से अवगत करा दिये थे, उस संबंध में 6 नवम्बर 2006 को केन्द्रीय खान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खनिज सलाहकार परिषद की बैठक में भी समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और राज्य के अधिकारीगणों ने पुनः 'हुदा समिति' की अनुशंसाओं की विसंगतियों पर अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुये केन्द्रीय सरकार और खनिज उत्पादक राज्यों के बीच आम सहमति बनाकर ही निर्णय लिये जाने को कहा है। 'हुदा समिति ' की अनुशंसायें एक असामान्य अनुशंसा है जिसके द्वारा संघ सरकार अपने खनिज उत्पादक घटक राज्यों को गैर समझते हुये उनके वैधानिक क्षेत्राधिकार को ही नकार रहे हैं। दूर संचार माध्यमों के विकास से प्राप्त लाभ, समय सीमा से आवेदनों के निश्चित निराकरण, आरटीआई नियमों से प्राप्त समुचित प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित समधान निर्णय जो अनुसूचित खनिज क्षेत्रों और उस पर प्राप्त लाभ का 20 प्रतिशत राशि उसी आदिवासी हरिजनों के पिछड़े क्षेत्र हित में खर्चना होगा, आदि नियमों का पालन अनुशंसित नहीं है। अभी तक संसद द्वारा संविधान प्रदत्त अधिकारों से देशहित राज्यहित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु प्रयास किये गये हैं।

अतः छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा 17 जुलाई, 2007 को पारित शासकीय संकल्प और इसी प्रकार अन्य घटक राज्यों के मनोभावों को समझते हुये सभी राज्यों के साथ समन्वयपूर्वक जनहित में हुदा समिति पर निर्णय लेना आवश्यक है। अन्यथा अनुशंसाएं व्यापक देशहित, राज्यहित में प्रासंगिक और सुदीर्घस सुअनूकूल नहीं होगा।